संख्या- 7022/15(1)/83-31(1)61/77

प्रेषक,

श्री ज्ञान चन्द्र जैन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ/ इलाहाबाद।

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा (1) अनुभाग

लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 1984

विषय: राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा विस्तरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2 के अ0शा0प0सं0-1/2/1973-कार्मिक-2, दिनांक 23 मई, 1983 में सुस्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि सरकारी कर्मचारियों को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा-विस्तार/पुनर्नियुक्ति/अनुबन्ध के आधार पर अथवा दैनिक वेतन पर नियुक्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2- इस संबंध में शिक्षा विभाग की विशेष कठिनाइयाँ शासन के समक्ष आई हैं कि राजकीय शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक सत्र के मध्य में सेवा-निवृत्त होने से न केवल शैक्षिक संस्थाओं में संबंधित विषय के अध्यापन का कार्य कुछ समय के लिये अस्त-व्यस्त हो जाता है अपितु उनके स्थान पर जो नये अध्यापक आते हैं उनके लिए भी पूर्ण गति से कार्य करने में कुछ समय लग जाता है जिसके कारण शिक्षण कार्य में एक लम्बी अवधि के लिये शिथिलता आ जाती है, तथा दूसरी ओर जिन संस्थाओं से अध्यापकों के स्थानान्तरण अथवा प्रोन्नति द्वारा इस प्रकार की रिक्तियाँ भरी जाती है उनमें भी शैक्षिक कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार कई विद्यालयों के शिक्षण कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है और छात्रों की पढ़ाई में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है।

3- उपरोक्त कठिनाइयों पर सम्यक रुप से विचारोपरान्त पार्श्वांकित शासनादेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय जनहित में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56(ए) के अन्तर्गत यह आदेश देते हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को जो शिक्षा सत्र के मध्य में (अर्थात 1 जुलाई के बाद और 30 जून से पहले) अधिवर्षता की आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर रहे हों, को निम्नांकित शर्तों पर संबंधित शैक्षिक सत्र के अन्त तक (अर्थात 30 जून तक) सेवा विस्तरण दे दिया जाय :-

1. सं0 8196/15-1-31(1)61/77 दि0-8-2-1970
2. सं0-12429/15-2-27(5)/76 दि0-12-5-1977
3. पू0अ0शा0सं0-318/15-2-77-30(67)/71 दि0 6-2-78

1- सेवा काल में संबंधित अध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो।

2- वह शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो।

3- यह वास्तव में कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाता हो । इस प्रकार के सभी मामले उपादेश के लिये समय से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना तथा प्रत्येक के सम्बंध में शासन के आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हों उनकी सेवा में अन्तिम वर्ष अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय जिससे उन्हें अनायास ही 30 जून तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाय ।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन के शिक्षा -14 अनुभाग के शासनादेश सं0- 1772/15-14-301671/71, दिनांक 6-5-1982 सपठित शासनादेश संख्या 2974/15-14-301671/71, दिनांक 26-7-1983 में जारी किये गये आदेशानुसार राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कृत अध्यापकों को जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं, उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात् दो वर्ष के सेवा विस्तरण की सुविधा प्रदान की गयी है। यह सुविधा राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को पूर्ववत जारी रहेगी ।

6- राज्यपाल महोदय जनहित में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 (ए) के अन्तर्गत यह भी आदेश देते हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत सभी राष्ट्रीय /राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को जो शैक्षिक सत्र के मध्य में (अर्थात् 1 जुलाई के बाद तथा 30 जून के पहले 60 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, को उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों पर ही 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संबंधित शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक) सेवा विस्तरण प्रदान किया जाय । इन मामलों में भी यह आवश्यक होगा कि ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन कार्य न कर रहे हों उनकी सेवा के अंतिम वर्ष में अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय ।

यह आदेश कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
ह0/- ज्ञान चन्द्र जैन
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या 7022(1)/15-1-84-3(1)/61/77 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय डिग्री/इण्टर मीडिएट कालेज, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
10. कार्मिक अनुभाग-2

आज्ञा से,
ह0/ ज्ञान चन्द्र जैन
संयुक्त सचिव।

प्रमाणित
ह0/ सुशील चन्द्र सक्सेना
अनुभाग अधिकारी, शिक्षा (1) अनुभाग,
उ0प्र0 सचिवालय।

संलग्नक

संख्या 7704 /छब्बीस-1-90-2जी(150)/89

प्रेषक,

के०आर०एम०टी०
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2. निदेशक,
जनजाति विकास, उ०प्र०,
लखनऊ।

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 21 जनवरी, 1991

विषय: हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग के अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के शिक्षा अनुभाग-1 से जारी शासनादेश संख्या-7022/15(1)/83-3(1)/77, दिनांक 21 मार्च, 1984 की प्रतिलिपि संलग्न करके भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि संदर्भित शासनादेश द्वारा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को शिक्षा सत्र के मध्य में अर्थात पहली जुलाई के बाद और 30 जून, के पहले अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की दशा में कुछ शर्तों पर संबंधित शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात आगामी 30 जून तक सेवा विस्तरण दिया गया है ; अतः शासन के सभी विभागों में समरूपता बनाये रखने के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि हरिजन एवं समाज कल्याण तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों की अधिवर्षता की आयु पर सेवा निवृत्ति के बारे में भी शिक्षा विभाग से जारी संदर्भित शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 1984 में निर्धारित प्रक्रिया एवं नीति को लागू कर दिया जाय।

क्रमशः ——2

2- तदनुसार अब शासनादेश संख्या-4541/36-पी0बी0-60/74 दिनांक 5-8-1975 द्वारा जारी किये गये निर्देश स्वतः संशोधित हो गये हैं और नयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें और अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को इससे अवगत करा दें ।

भवदीय,

के0 आर0 भाटी
सचिव।

पृ0सं0-7704 (1)/छब्बीस-1-90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलीय उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0
(2) प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ।
(3) प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ/ गोरखपुर/ नैनीताल ।
(4) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(6) कोषाधिकारी, लखनऊ/गोरखपुर/नैनीताल ।
(7) समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(8) हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-2/3
(9) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान ।
(10) आर0सी0डी0आर0सी0 ।
(11) गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी)
विशेष कार्याधिकारी।

सेवा विस्तरण में आंशिक संशोधन

संख्या–2414/26–1–2015–2जी (150)/89

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग–1

सेवा में,

निदेशक, समाज कल्याण/
जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2015

विषय– समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं मे कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यो एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों मे कार्यरत अधीक्षको को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तरण (सत्रलाभ) विषयक निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 276/स0क0/स्था0–2/258/वे0 विसंगति/2015–16 दिनांक 26 जून 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–7704/26–1–90–2जी (150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को शैक्षिक सत्र के मध्य अर्थात 01 अप्रैल के बाद और 31 मार्च के पहले अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की दशा में शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात 31 मार्च तक सेवा विस्तरण का लाभ अनुनन्य किये जाने हेतु यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि शिक्षा सत्र मध्य अर्थात पहली जुलाई के बाद और 30 जून के पहले अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या –7022/15–1–84–31(18)/77,दिनांक 21.03.1984 मे उल्लिखित सेवा शर्तो के अनुरूप समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यो को सेवा विस्तरण/सत्रलाभ की सुविधा शासनादेश संख्या–7704/26–1–10–2जी(150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 द्वारा प्रदान की गयी तथा कालान्तर में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के अधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को भी उक्त सुविधा शासनादेश संख्या–5717/26–1–95–2जी(150)/89 दिनांक 19 जनवरी 1996 द्वारा प्रदान की गयी शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–1289/15–7–2014 दिनांक 15.10.2014 द्वारा

स्वप्रमाणित
सुमन देवी

शैक्षिक सत्र माह पहली जुलाई से 30 जून के स्थान पर पहली अप्रैल से 31 मार्च किया गया जिसके क्रम में समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 648/26/–3–2015–10(1)/2015दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों /संस्थाओं हेतु शैक्षिक सत्र 01 अपैल से 31 मार्च तक की अवधि निर्धारित किया जा चुका है।

3– अतएव समाज कल्याण तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं प्रधानाध्यापकों तथा प्राधानाचार्या एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु के पश्चात सेवा विस्तारण (सत्रलाभ) संबंधी शासनादेश संख्या–7704/26–1–90–2जी(150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 तथा शासनादेश संख्या–5717/26–1–95–2जी(150)/89 दिनांक 19 जनवरी 1996 में शैक्षिक सत्र पहली जुलाई से 30 जून के स्थान पर शैक्षिक सत्र 01 अपैल से 31 मार्च समझा जाय।

4– इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा विस्तरण/सत्रलाभ प्रकरणों को पूर्व सेवा शर्तों के अधीन उपर्युक्तानुसार निर्धारित नवीन शैक्षिक सत्र के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह0अ0

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव